लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1935
11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

कौशल विकास के लिए नई पहल

1935. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को वर्ष 2025-26 के लिए हाल ही में प्रस्तुत बजट में बढ़ा हुआ बजटीय आवंटन प्रदान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटन में कोई परिवर्तन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वस्त्र उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त निधि प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास हेतु बजटीय प्रावधान में कोई नई पहल शामिल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या अगले वित्तीय वर्ष के अंतर्गत वस्त्र अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए कोई निधि आवंटित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख): वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मंत्रालय का बजटीय आवंटन 4417.03 करोड़ रुपये है और अगले वित्त वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 5272 करोड़ रुपये है। मुख्य वृद्धि, उत्पादन सम्बद्ध योजना (पीएलआई) के अंतर्गत की गई है, अर्थात 45 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2024-25) से बढ़कर 1148 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2025-26), पटसन वस्त्र विकास (एनजेबी) के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2024-25) से बढ़कर 90 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2025-26), केंद्रीय रेशम बोर्ड के अंतर्गत 900 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2024-25) से बढ़कर 956.84 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2025-26) की गई है।

(ग): सरकार, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु जीरो-रेटेड निर्यात के सिद्धांत को अपनाकर अपैरल/गारमेंट और मेड-अप के लिए राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों में छूट (आरओएससीटीएल) योजना लागू कर रही है। इसके अलावा, आरओएससीटीएल योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए वस्त्र उत्पादों को अन्य उत्पादों के साथ-साथ निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) के अंतर्गत कवर किया जाता है। इसके अलावा, सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के आयोजन और उनमें भाग लेने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा क्रियान्वित बाजार पहुंच पहल योजना के तहत विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(घ): वस्त्र मंत्रालय का लक्ष्य एनटीटीएम (घटक IV) के तत्वावधान में 50,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिसमें स्नातक-पूर्व, अकुशल कामगार, कौशल उन्नयन या पुनः कौशल प्राप्ति के इच्छुक पेशेवर तथा तकनीकी वस्त्रों के विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्रों में लगे कार्मिक शामिल हैं।

इसके अलावा, वस्त्र मंत्रालय सामान्यत: समर्थ के रूप में मानी जाने वाली कौशल योजना को भी लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य स्पिनिंग और विविंग के अलावा, वस्त्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को कवर करते हुए, संगठित वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों में नौकरियां सृजित करने के लिए उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और पूरक करने के लिए मांग आधारित, प्लेसमेंट उन्मुख राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) अनुरूप कौशल कार्यक्रम प्रदान करना है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 330 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है।

(ङ): सरकार ने वर्ष 2027-28 तक सात वर्षों की अवधि के लिए 4445 करोड़ रुपये के परिव्यय से प्लग एंड प्ले सुविधा सहित विश्व स्तरीय अवसंरचना के साथ ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड स्थलों पर 7 (सात) पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है।

संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) जनवरी 2016 में शुरू की गई थी जो 31 मार्च, 2022 तक वैध थी। वर्तमान में दिनांक 31.03.2022 तक जनरेटेड यूआईडी के लिए एटीयूएफएस के तहत केवल प्रतिबद्ध देनदारियों का निपटान किया जा रहा है और वस्त्र मशीनरी के आधुनिकीकरण के लिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए 635 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

***